

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम शौजपुरा के खाता सं. 295 खसरा नं. 563/2, 568, 569 में आवेदन पत्र अनुसार अफ़रेगा पूर रासोखे दे ल्वात पर अफ़रेगा पूर ^{नाम रामदेव} शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केंम्प FRC ग्राम पंचायत शौजपुरा में दिनांक 30-5-21 को मजमेआम में सुनाया गया।

30/5/21